न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) {समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

आप.प्र.क. : 854 / 2014

<u>संस्थित दिः 17/09/14</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,	
अन्तर्गत चौकी बिठली जिला बालाघाट (म.प्र.)	अभियोगी

विरुद्ध

–:: निर्णय ::–

(आज दिनांक 17/09/2014 को घोषित किया गया)

- (01) आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) का आरोप है कि आरोपी दिनांक 30 / 08 / 2014 को समय 08:00 बजे स्थान आरोपी के मकान के पीछे बाड़ी में ग्राम बिठली थाना रूपझर अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक प्लास्टिक की जरीकेन में पांच लीटर एवं एक प्लास्टिक की जरीकेन में दो लीटर कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से बिना आज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा—पत्र के रखे हुए पाया गया।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि चौंकी बिठली में पदस्थ प्रधान आरक्षक आर.गोस्वामी दिनांक 30.08.2014 को हमराह आरक्षक 1264 श्याम के साथ गणेश प्रतिमाओं की जानकारी लेने एवं समिति सदस्यों की जानकारी लेने रवाना हुआ था जानकारी लेने के बाद वह वापस चौंकी बिठली आ रहा था तो उसे चौंकी प्रभारी द्वारा मोबाईल से सूचना दी गई कि ग्राम बिठली का मोटू अपने कब्जे में अवैध रूप से महुआ की शराब बिकी हेतु रखे हुये है तत्काल चौंकी प्रभारी के बताये अनुसार स्थान पर जाकर घेराबन्दी कर तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक की जरीकेन में पांच लीटर एवं एक प्लास्टिक के जरीकेन में दो लीटर कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से रखे हुई पायी गई। आरोपी से शराब रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपी ने लायसेंस न होना व्यक्त किया। बिना लायसेंस के शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत दण्डनीय अपराध

आप.प्र.क. : 854/2014

होने से आरोपी से शराब को समक्ष गवाहों के जप्त कर, आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध शून्य पर कायमी कर असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था, जिस पर थाना रूपझर की पुलिस के द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 95/14 अन्तर्गत धारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 34 (क) के तहत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- (03) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाई व समझाई गई।
- (04) आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है
 - (अ) क्या आरोपी दिनांक 30/08/2014 को समय 08:00 बजे स्थान आरोपी के मकान के पीछे बाड़ी में ग्राम बिठली थाना रूपझर अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक प्लास्टिक की जरीकेन में पांच लीटर एवं एक प्लास्टिक की जरीकेन में दो लीटर कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से बिना आज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा—पत्र के रखे हुए पाया गया ?

—:: <u>सकारण निष्कर्ष</u>्यः

- (05) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।
- (06) आरोपी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
- (07) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेचछयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

आप.प्र.क. : 854/2014

- आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध में (80)दोषसिद्ध पाते हुए 1000 / - रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है।
- अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपी को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।
- प्रकरण में जप्तशुदा सात लीटर कच्ची महुआ शराब मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)

